संख्या-75/2016/3034(2)/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अति कुपोषित बच्चों हेतु हौसला फीडिंग कार्यक्रम हेतु धनराशि के अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-74/2016/3034/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को पका पकाया भोजन खिलाने हेतु रूपये 2471.62 लाख प्रतिमाह की दर से 03 माह 15 दिन के लिए रूपये 86,50,67,000/- (रूपये छियासी करोड़ पचास लाख सरसठ हजार मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में त्रुटिवश "03 माह 15 दिन (16 दिसम्बर, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक)" अंकित हो गया है, के स्थान पर "03 माह 15 दिन (16 दिसम्बर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक)" पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश संख्या-74/2016/3034/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-75/2016/3034(3)/60-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त लेखा अनुभाग-1।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in